

मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

प्रकीर्ण संख्या-115/21

MACP No.-188/17

श्रीमती सरला बनाम सीताराम यादव

दिनांक:10.07.21

राष्ट्रीय लोक अदालत

आज यह प्रकीर्ण पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत हुई। याची श्रीमती सरला मय अधिवक्ता उपस्थित है। पत्रावली आज याची की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 3B पर आदेश हेतु नियत है।

याची की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 3B मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि MACP No.-188/17 का निस्तारण सम्बन्धित न्यायालय द्वारा दिनांक 12.9.19 को किया गया था जिसके विरुद्ध याची की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष FAFO संख्या-354/20 प्रस्तुत किया गया और उक्त अपील में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एवार्ड राशि ₹2,18,750 मे ₹76,250 की बढ़ोत्तरी का दिनांक 3.2.21 को आदेश पारित किया गया, जिसके अनुपालन में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा दिनांक 5.3.21 को चेक संख्या-009426 अंकन ₹96,679 के माध्यम से जमा कर दी गयी है। अतः याची को उक्त धनराशि प्रदान की जाये।

कार्यालय आख्या के अनुसार विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा चेक संख्या -009426 के माध्यम से ₹96,679 सिंडीकेट बैंक में जमा किये गये हैं। उक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रतिकर की सम्पूर्ण राशि जमा की जा चुकी है, जिसे याची प्राप्त करने की अधिकारी है।

आदेश

याची श्रीमती सरला की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 3B स्वीकार किया जाता है। शाखा प्रबन्धक, सिंडीकेट बैंक, शाखा-झोक्नबाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि विपक्षी बीमा कम्पनी यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. द्वारा चेक संख्या-009426 के माध्यम से दिनांक 5.3.21 को जमा की गयी धनराशि ₹96,679 याची के बैंक खाता संख्या-92352010006566 IFSC Code-SYNB0009235 सिंडीकेट बैंक में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

(चंद्रोदय कुमार)

पीठासीन अधिकारी

मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी